न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 77 / 2018
निर्णय दिनांक : 14.07.2021

1. सीताराम
2. कालूराम
3. देवीनारायण
4. गोवर्धन
5. ओमप्रकाश
6. पूरणमल

पिसरान् स्व0 बद्रीनारायण

समस्त जाति–बागड़ा ब्राहम्ण, निवासीगण–ग्राम झुण्ड, तहसील–सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्योराम पुत्र मोती
2. श्रीमति बरदी पत्नी स्व उदा
3. रामकुंवार पि.मु. स्व उदा
   समस्त जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम मानपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
4. श्रवण पुत्र अर्जुन
5. प्रधानलाल गुर्जर | पि0 देवाराम
6. मुकेश
   समस्त जाति गुर्जर, निवासीगया–ग्राम चिरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थन पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 120, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नंबरान 149/807 रकबा 0.04 है0 151/808 रकबा 0.02 है0 152/809 रकबा 0.03 है0 160 रकबा 0.03 है0 165 रकबा 2.14 है0 166 रकबा 0.09 है0 167 रकबा 0.44 है0 कुल किता 7 रकबा 2.79 है0 वाके ग्राम झुण्ड, पटवार ह्ल्का रामपुराउंती गिरदावर हल्का बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है जिसके प्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार एवं काबिजकाश्तकार है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 149, 151, 152, 153, एवं 154 किता 5 कुल रकबा 2.46 है0 प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पश्चिमी सीमा से सींव जोड़ है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 अपनी भूमि पर काबिजकाश्त है ... वर्ष को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 165 की पुरानी मेड़ ... तोड़ ... तथा प्रार्थीगणके मना करने पर कहने लगे कि हमारी जीमन तुम्हारे ... में ... है ... हम जमीन पर कब्जा करेंगें। प्रार्थीगण सद्नागरिक है कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते है प्रार्थीगण अप्रार्थीगण एक लगायत छः द्वारा किए गये अतिक्रमण की रिपोर्ट पुलिस में दी तो पुलिसवालों ने कहा कि अपनी जमीन का सीमांकन करवा लो तब प्रार्थीगण ने तहसीलदार सांगानेर से सीमांकन के आदेश करवाकर पटवारी व गिरदावर हल्का अवानिया की देखरेख में कई मौजीज व्यक्तियो व अप्रार्थीगण संख्या 1लगायत 6 के समक्ष दिनांक 05.06.2017 को सीमांकन करवाया किन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:11:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुर द्वितीय (सांगानेर)

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 सरकश व झगडालू किस्म के व्यक्ति है अपनी खराब आदतो से बाज नही आते तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है जिसका उन्हे कोई किसी प्रकार का विधिक अधिकार नही है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 ने दिनांक 05.02.2017 को प्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा नंबर 149/807 रकबा 0.04 है0, 160 रकबा 0.03 है0 165 रकबा 2.14 है0 166 रकबा 0.09 है0 167 रकबा 0.44 है0 कुल किता 7 रकबा 2.79 है0 कि पश्चिमी सीमा पर पुनः अतिक्रमण करने की कोशिश की जिस पर मना करने पर अप्रार्थीगण ने कहा कि हम सीमाज्ञान को नही मानते पत्थरगढी करवाओगे तब तुम्हारी जमीन से कब्जा हटा लेगे। अप्रार्थीगण द्वारा बार–बार प्रार्थीगण कि खातेदारी एवं कब्जाकाश्त व स्वामीत्व की भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने से वादकारण दिनांक 05.02.2017 से लगातार उत्पन्न होने से प्रार्थनापत्र पेश करना लाजिमी हुआ।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथपत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा नंबरान 149/807 रकबा 0.04 है0 151/808 रकबा 0.02 है0 152/809 रकबा 0.03 है0 160 रकबा 0.03 है0 165 रकबा 2.14 है0 166 रकबा 0.09 है0 167 रकबा 0.44 है0 कुल किता 7 रकबा 2.79 है0 वाके ग्राम झुण्ड, पटवार हल्का रामपुराउंती गिरदावर हल्का बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर की पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को फरमावें तथा आवश्यकता पड़ने पर पुलिस इमदाद से पत्थरगढी कराने के भी आदेश फरमाने की कृपा करे।

दिनांक 28.06.2018 को प्रार्थना पत्र पुनः स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की तलबी रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। दिनांक 06.12.2019 को अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की ओर से आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया। नकल वकील प्रार्थीगण को दिलाई गयी। दिनांक 14.02.2020 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार योग्य नही पाये जाने पर खारिज किया गया। दिनाक 09.07.2021 को पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अंतिम बहस के लिये निवेदन किया कि उक्त प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। पत्रावली में बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थिति नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम झुण्ड, पटवार हल्का रामपुराउंती गिरदावर हल्का बगरूकलां तहसील सांगानेर के खसरा नम्बरान खसरा नंबरान 149/807 रकबा 0.04 है0 151/808 रकबा 0.02 है0 152/809 रकबा 0.03 है0 160 रकबा 0.03 है0 165 रकबा 2.14 है0 166 रकबा 0.09 है0 167 रकबा 0.44 है0 कुल किता 7 रकबा 2.79 है0 का तह0 सांगानेर के सीमाज्ञान फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश दिनांक 05.06.2017 के [illegible] करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस [illegible] करें।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2021 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:41:16 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार [illegible])
[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर